

तारीख  
हुकम


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
मुकदमा संख्या :- 194/2022  
रघुवीर सिंह बनाम राजस्थान सरकार  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

21/11/22

तहसीलदार झुंझुनूं से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम तोगड़ा खुर्द पटवार मंडल बास नानग में हाल खाता संख्या 98 में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी का नाम भूलवश रूघवीर पुत्र करणीराम दर्ज है, जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र इत्यादि में प्रार्थी का नाम रघुवीरसिंह पुत्र करणीराम है। प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से स्पष्ट है कि यह त्रुटि भूलवश हुई है, जिसको दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः संलग्न रिकार्ड एवं तहसीलदार झुंझुनूं की अभिशंषा के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार खाता शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रिपोर्ट आदेश का अभिन्न भाग रहेगी। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज तम्बर से कम हो एवं बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तार हो। हुकम करणाराम के द्वारा प्रार्थना पत्र का निर्णय आज दिनांक 21/11/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः संलग्न रिकार्ड एवं तहसीलदार झुंझुनूं की अभिशंषा के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार खाता शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रिपोर्ट आदेश का अभिन्न भाग रहेगी। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज तम्बर से कम हो एवं बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तार हो। हुकम करणाराम के द्वारा प्रार्थना पत्र का निर्णय आज दिनांक 21/11/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उप खास अधिकारी  
झुंझुनूं (राज.)